दिल्ली विधान सभा सचिवालय समाचार भाग -2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) सोमवार 10 जनवरी, 2005 / 20 पोष 1926 (शक)

संख्या: 75

0

सदस्य की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, उत्तर पूर्व जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि श्री भीष्म शर्मा, माननीय सदस्य, दिल्ली विधान सभा को एफ. आई. आर. नंबर: 174/04 दिनांक 16.06.2004 के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा क्रमांक 186/353/332 के अंतर्गत 17.12.2004 को पूर्वाह्न 9.00 बजे थाना न्यू उस्मानपुर, दिल्ली में गिरफ्तार किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 17.12.2004 को प्रातः 9.30 बजे जुमानत पर

रिहा कर दिया गया।"

सिद्धार्थ राव सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Monday 10th January, 2005/20, Pausha 1926 (Saka)

No.75

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl Deputy Commissioner of Police, North East District, Delhi:

"I have the honour to inform you that Shri Bhisham Sharma, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi was arrested in case FIR No. 174/04 dated 16.06.2004 u/s 186/353/332 IPC PS New Usmanpur, Delhi at 09.00 AM on 17.12.2004

He was released on bail at 09.30 AM on 17.12.2004 itself."

SIDDHARATH RAO SECRETARY